न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 30 / 2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

बनाम

1. श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा
एफबीओ मैसर्सः— निखिल किराना स्टोर, गोर, गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा।
— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 21.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एफ5(1)/चिस्वा./ग्रुप—3/2022 दिनांक 2.12.2022 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राज. जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता./खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 16.02.2022 को दोपहर 12:15 बजे मैसर्सः— निखिल किराना स्टोर गोर गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पंजीकरण दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर एक प्लास्टिक के कट्टे में मिर्च पाउडर(खुला) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसमें मिलावट का शक होने पर इसमे से नमूने की जॉच हेतु 2 किग्रा मिर्च पाउडर(खुला) खरीदा। जिसे विक्रेता ने साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की थैली में तौलकर दिया। जिसकी कीमत 480 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 2 किग्रा मिर्च पाउडर(खुला) को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर—बराबर डालकर डिब्बो को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओं. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर डिब्बों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.—3173 गोंद से चिपकाकर डिब्बों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिब्बों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर डिब्बों पर एफबीओ(विक्रेता) गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द डिब्बों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद डिब्बा एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद डिब्बा व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री मदन लाल गुर्जर एफएसओ मुख्यालय द्वारा दिनांक 16.02.2023 को खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बे व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.02.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद डिब्बा व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 17.02.2023 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(खुला) का नमूना खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./160/एक्ट/2023/182 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./160/एक्ट/2023/182 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(खुला) का नमूना नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(लूज) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(**II**) व (**V**) का उल्लंघन किया है। अतः अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि मेरे द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(खुला) में किसी प्रकार की कोई मिलावट जांच रिपोर्ट में नहीं पाई गई है। मेरे द्वारा मिर्च पाउडर खुला बेचा गया है। मुझे इस बात का पता नहीं था कि खुला मिर्च पाउडर बेचना नियमो के अनुसार सही नहीं है। मैं एक छोटा दुकानदार हुं। जो अपनी आजीविका चलाने के लिये छोटा सी दुकान करता हुं। भविष्य में हमारे द्वारा कभी भी खुले मिर्च पाउडर का विक्रय नहीं किया जायेगा। प्रथम बार हुई गलती के लिये मुझे माफ किया जाकर कम से कम जुर्माना लगाये जाकर प्रकरण को बन्द किया जावे।

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या : 30 / 2023 FSSA

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 160 / एक्ट / 2023 / 182 दिनांक 27.02.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(खुला) का नमूना नियम 2.3.14(15) एफएसएस (**Prohibitions and Restrictions on sale**) नियम 2011 का उल्लंघन(खुले मसाले बेचना) पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ मिर्च पाउडर(खुला) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा एफबीओ मैसर्सः—निखिल किराना स्टोर, गोर, गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा पर 10000 / —(अक्षरे दस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 21.06.2023 के एक माह के अन्दर—अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

कमांक / FSSA/ दिनांकः— .06.2023

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री गिरधारी लाल शर्मा
   एफबीओ मैसर्सः— निखिल किराना स्टोर, गोर, गुढाकटला तहसील बसवा जिला दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा